

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा

प्रलिमिस के लिये:

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, NEP, शिक्षा का अधिकार

मेन्स के लिये:

भारत में शक्ति प्रणाली और संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 3 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की मूलभूत सतर की शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा शुरू की।

Key features of the framework

The National Curriculum Framework, made for the 3-8 age group, is the first such integrated curriculum for children

What replaces textbooks?

NCF suggests the use of simple worksheets for the 3-6 age group
 • "...for ages 3-6, there should not be any prescribed textbooks for the children...(they) should not be burdened with textbooks," the document states.

Why is this an important step?

- Vast numbers of school-going children routinely fail learning outcome tests
- Effect of holistic education in founding years on learning levels of children

Other reforms

- Toy-based learning
- Avoiding stereotypes
- Gender representation
- Ethical, moral awareness


राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF):

- NCF के चार आयाम हैं:
 - स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा
 - बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा
 - शिक्षकों की शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा
 - प्रौढ़ शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा
- यह रूपरेखा 'पंचकोष' अवधारणा पर केंद्रित है- शरीर-मन के बीच समन्वय की प्राचीन भारतीय परंपरा से प्रेरित।
- NCF के पाँच भाग हैं- शारीरिक विकास, जीवन उर्जा का विकास, भावनात्मक और मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक विकास।

- यह नई शक्षिता-2020 को लागू करने के लिये उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

राष्ट्रीय शक्षिता नीति-2020

- राष्ट्रीय शक्षिता नीति-2020 (NEP 2020) भारत में शक्षिता क्षेत्र में बदलाव ला रही है।
- इसने शक्षिता प्रणाली को समानता और समावेश के साथ सभी के लिये उच्चतम गुणवत्ता वाली शक्षिता प्रदान करने के मार्ग को प्रशस्त किया है।
- NEP 2020 के सबसे प्रवितनकारी पहलुओं में नई 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना है जो 3 से 8 वर्ष के सभी बच्चों के लिये प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शक्षिता को एकीकृत करती है।
- प्रारंभिक बचपन, जीवन भर सीखने के विकास की नींव होता है, यह पूरे जीवन की गुणवत्ता का एक प्रमुख नियंत्रक है।



भारत में शक्षिता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान और कानून:

- संवैधानिक प्रावधान:
 - भारतीय संविधान के भाग IV, राज्य के नीति नियंत्रक सदिधानांतों (DPSP) के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39 (f) में राज्य द्वारा वित्तीयोपेति होने के साथ-साथ समान एवं सुलभ शक्षिता का प्रावधान है।
 - 1976 में संविधान के 42वें संशोधन ने शक्षिता को राज्य से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया।
 - केंद्र सरकार की शक्षिता संबंधी नीतियाँ इसे एक व्यापक दरिशा प्रदान करती हैं और राज्य सरकारों से इसका पालन करने की अपेक्षा की जाती है लेकिन यह अनविवार्य नहीं है, उदाहरण के लिये तमिलनाडु वर्ष 1968 में पहली शक्षिता नीतिद्वारा नियंत्रित त्रिम्भाषा फार्मूले का पालन नहीं करता है।
 - वर्ष 2002 में 86वें संशोधन ने अनुच्छेद 21ए के तहत शक्षिता को एक प्रवरतनीय अधिकार बना दिया।
 - संविधान का अनुच्छेद 21ए राज्य के लिये 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनविवार्य शक्षिता प्रदान करना अनविवार्य बनाता है।
- संबंधित कानून:
 - **शक्षिता का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009** का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शक्षिता प्रदान करना और शक्षिता को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करना है।
 - इसके तहत समाज के वंचित वर्गों के लिये 25% आरक्षण का भी प्रावधान है।
- सरकारी पहलें:
 - **सरकारी शक्षिता अभियान, मध्याहन भोजन योजना**, नवोदय विद्यालय (NVS विद्यालय), केंद्रीय विद्यालय और शक्षिता में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग आदविवर्ष 1986 के शक्षिता नीति की ही देन है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा विजित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न: नमिनलखिति कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

- शक्षिका का अधिकार (RTE) अधनियम के अनुसार, राज्य में शक्षिका के रूप में नयिक्त हैं पात्र होने के लिये व्यक्ति को संबंधित राज्य शक्षिका परिषद द्वारा नियंत्रित न्यूनतम योग्यता रखने की आवश्यकता होगी।
- RTE अधनियम के अनुसार, परामर्शदाता कक्षाओं को पढ़ाने के लिये एक उम्मीदवार को राष्ट्रीय शक्षिका परिषद के दशानियंत्रित देशों के अनुसार आयोजित शक्षिका पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
- भारत में 90% से अधिक शक्षिका संस्थान सीधे राज्य सरकारों के अधीन हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- बच्चों के सुफत और अनविार्य शक्षिका के अधिकार (RTE) अधनियम, 2009 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकरण ने कक्षा I के लिये शक्षिका के रूप में नयिक्त हैं पात्र होने के लिये कक्षा I-VIII तक न्यूनतम शैक्षिकी और व्यावसायिक योग्यता नियंत्रित की है, जो राज्य सरकारों के अंतर्गत आने वाले स्कूलों सहित प्रारंभिक शक्षिका प्रदान करने वाले सभी स्कूलों पर लागू होते हैं। शक्षिका के रूप में नयिक्त होने के लिये उन्हें शक्षिका पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करनी होगी। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- TET, राष्ट्रीय शक्षिका परिषद द्वारा नियंत्रित दशा-नियंत्रित देशों के अनुसार उपर्युक्त राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाती है। अतः कथन 2 सही है।
- वर्ष 2012 में गठित वर्मा आयोग ने अपनी रपोर्ट में बताया कि 90% शक्षिका नियंत्रित नहीं थे। अतः कथन 3 सही नहीं है।

प्रश्न: राष्ट्रीय शक्षिका नीति 2020 सतत विकास लक्ष्य-4 (वर्ष 2030) के अनुरूप है। यह भारत में शक्षिका प्रणाली के पुनर्गठन और पुनर्रचना का इरादा रखता है। कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2020)

स्रोत: लाइब्रेरी

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/national-curriculum-framework-1>